(e) There has been no discrimination against the SC/ST minoirities employees.

(f) and (g) There was a regular Chairman-cum-Managing Director uptd 1.6.98. After he was relieved on completion of his tenure, it was decided by the Government no to appoint a regular Chief Executive as there were no significant production activities in the Company and BIFR's recommendations for winding up were pending in the Allahabad High Court.

Employment opportunities in industrial sector

2377. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that employment in the industrial sector during the post-1991 period has been adversely affected primarily due to failure of Government to provide a level playing field to domestic industry;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) what steps Government propose to adopt to create more employment opportunities in industrial and other sectors?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) The Employment in the organised sector specifically in the manufacturing sector has gone up during 1991 to 1996 according to the latest available data on employment as per Directorate General of Employement and Training (DGE&T), Ministry of Labour.

Year (As on 31st March)	Organised Sector (Employment in lakhs)	Manufacturing sector (Employment in Lakhs)
1991	267.33	63.33
1992	270.56	64.27
1993	271.76	63.96
1994	273.75	64.14
1995	279.86	66.21
1996	279.41	67.87

(c) Productive employment is an important dimension of the state policy that seeks to achieve growth with equity. Greater productive employement will be generated in the growth process itself. Improvements in the levels of employment can be achieved only on a situation of rapidly growing productivity.

व्यापक राष्ट्रीय औद्योगिक नीति

2378. **श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई व्यापक राष्ट्रीय औद्योगिक नीति लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान लागू की गई उपरोक्त नीति के किन-किन पक्षों को लागू किया गया;

(घ) क्या इसे लागू करने में किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (च) औद्योगिक नीति पर विवरण 24.7.1991 को संसद के दोनों सदनों में रखा गया था। सरकार की औद्योगिक नीति का लक्ष्य पहले से ही प्राप्त उपलब्धियों को मजबूत करना, उत्पादन तथा सार्थक रोजगार में स्थायी वृद्धि कायम रखना है। औद्योगिक क्षेत्र में सुधार जारी रखने की सरकार की नीति के अनुरूप, सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। लाइसेंसीकरण हटाने का दायरा बढ़ाया जा चुका है। घरेलू निवेश की अनुपूर्ति के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने हेतु और-आधिक बल दिया जा रहा है। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस अपेक्षित है उन्हें कम करके मात्र छः कर दिया गया है। उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग हेतु, अधिसूचित अधिकतम सीमा तक विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और अनिवासी भारतीय विदेशी नियमित निकाय निवेश की अनुमति स्वतः अनुमोदन मार्ग के माध्यम से प्रदान की जाती है।

औद्योगिक नीति, प्रक्रियाओं और उनका क्रियान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है। हाल ही में किये गये उपायों में ये शामिल हैं। कोयला लिग्नाइट, पैट्रोलियम (कच्चे को छोड़कर) और इसके आसवन उत्पादों तथा चीनी सहित उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करना, विदेशी इक्विटी हेतु स्वतः अनुमोदन के लिए उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची का विस्तार, गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए क्रियाकलापों का विस्तार, निजी क्षेत्र के बैंकों में 40% तक इक्विटी के अंशदान हेतु बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं को अनुमति देना तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु कई अन्य उपाय आदि।

बिहार के झारखण्ड क्षेत्र में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण

2379. **श्री शिबू सोरेन:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत झारखण्ड क्षेत्र के 18 जिलों में वर्ष-वार और जिला-वार कितने बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण दिया गया;

(ख) इस मद के अन्तर्गत आबंटित राशि का जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित बेरोजगार व्यक्तियों का जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित या विवादग्रस्त मामलों/आवेदनों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अधीन केन्द्र सरकार राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को लाभानुभोगियों की संख्या के अनुसार केवल भौतिक लक्ष्य ही आबंटित करती है। फिर राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारें, जिलों को आगे भौतिक लक्ष्य आबंटित करती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को 15% की दर अधिकतम 7,500 रु० तक राजसहायता देने के लिए प्राधिकृत किया गया है और या कार्यान्वयनकारी बैंकों के माध्यम से लाभानुभोगियों को पहुंचायी जाती है। प्रशिक्षण तथा अन्य प्रचालन कार्यों के लिए, निधियां योजना की प्रगति के अनुसार, राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को जारी/प्राधिकृत की जाती हैं।

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में बिहार के झारखंड क्षेत्र के 15 जिलों में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों सहित बैंक आफ इंडिया से सहायता प्राप्त कुल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाले विवरण क्रमशः विवरण I, विवरण II और विवरण III में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**। बिहार के झारखंड क्षेत्र के दुमका, पलामू तथा गढ़वा जिलों में बैंक आफ इंडिया की शाखाएं नहीं हैं।

(घ) बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, विवादास्पद मामलों/आवेदनपत्रों पर विचार किया जाता है और जिला उद्योग केन्द्र/कार्य बल की सहायता से इनका समाधान किया जाता है। बैंकों में वित्तीय वर्ष के अंत में शेष बचे आवेदनपत्रों पर अगले वित्तीय वर्ष में कार्रवाई की जाती हैं।